G20 भारत 2023 INDIA

उत्तर प्रदेश सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सहकार से समृद्धि

उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि०

बी–पैक्स सदस्यता महा अभियान 2023

||01 से 30 सितम्बर 2023||

सहकारी स्वयं सेवक डायरी

जिला सहकारी बैंक लि०

सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश

www.pacsmember.in

Toll Free No: 1800 21288 4444

“भारत में आत्मनिर्भरता की कई कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सहकारी आत्मनिर्भरता बहुत अच्छा माडल है।”

– नरेन्द्र मोदी

मा0 प्रधानमंत्री

“सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना और उससे देश को समृद्ध बनाना, यही हमारा लक्ष्य है।”

– अमित शाह

मा0 केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

“सहकारिता आन्दोलन प्रदेश के गरीब तबके के स्वावलम्बन एवं रोजगार सृजन में महती भूमिका निभा रहा है।”

– योगी आदित्य नाथ

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

“हरित क्रान्ति में अहम भूमिका निभाने का काम सहकारिता ने किया है। भारत में गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है।”

– जे.पी.एस. राठौर

मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता, उत्तर प्रदेश

सहकारी स्वयं सेवक का विवरण

1– नाम : ....

2– पिता का नाम : ....

3– पता : ....

....

....

4– मोबाइल नं. : ....

5– आधार कार्ड नं. : | | | | | | | | | | | | | | |

6– बी–पैक्स नाम : ....

7– विकास खण्ड : ....

8– जिला : ....

किट में रखी सामग्री

क्र. स.	सामग्री	मात्रा
01	सहकारी स्वयं सेवक डायरी	1
02	सदस्यता आवेदन पत्र	200
03	रसीद – 10 बुक	200 रसीदें
04	शेयर प्रमाण पत्र	200
05	सहकार से समृद्धि – (पत्रक)	200
06	संदेश	500
07	सदस्यता महाभियान फ्लेक्स	1
08	पेन	2

जे.पी.एस.राठौर
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सहकारिता विभाग
उत्तर प्रदेश

कक्ष सं0: 60, मुख्य भवन,
सचिवालय, लखनऊ, पिन-226001
फोन / फैक्स : 0522-2238080
ई-मेल : sahkaritamantriup@gmail.com

दिनाँक : 01 सितम्बर 2023

संदेश

प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार।

सहकारिता भारत का मूलभाव है। सहकारिता आन्दोलन अपार संभावनाओं से भरा हुआ है और प्रगति के द्वार खोलता है। सहकारिता में परस्पर सहयोग से हम सब मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं।

सहकारिता पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास मॉडल को अपनाकर प्रदेश में मा0 प्रधानमंत्री जी के **''सहकार से समृद्धि''** के सपने को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के **''आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश''** के संकल्प को पूर्ण करने में सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर व उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता का अहम योगदान होगा।

सहकारिता आन्दोलन का पूर्व की सरकारों ने दुरूपयोग किया, परिणाम स्वरूप अधिकांश सहकारी संस्थाएं कमजोर होकर मृतप्राय हो गईं। वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सहकारिता के कार्यकर्ताओं ने सहकारी आन्दोलन को कर्मठता के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे अधिकांश संस्थाएं लाभ की ओर अग्रसर हैं।

प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंक कमजोर होकर बन्दी की कगार पर खड़े थे, भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेन्स निलम्बित कर दिया। कठोर परिश्रम का फल है कि इन बैंकों ने प्रगति की राह पकड़ ली है और सभी डिपॉजिटर्स का उनकी माँग के अनुरूप भुगतान हो रहा है। इसी प्रकार एल0डी0बी0, जो वर्षों के कुप्रबन्धन के कारण बदतर हालात में पहुँच गया था, सतत् अनुश्रवण एवं पारदर्शी कार्य संस्कृति के चलते वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0-100.00 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि में न केवल अधिकारियों कर्मचारियों व प्रबंधन का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि खातेदार का भी भरोसा बढ़ाया है। **बी-पैक्स** (साधन सहकारी समितियां) सहकारिता आन्दोलन की रीढ़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

भारत सरकार में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरान्त बी-पैक्स को बहुआयामी एवं बहुउद्देशीय बनाये जाने हेतु अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे प्रदेश की ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक साधन सहकारी समिति (बी-पैक्स) अथवा मत्स्य सहकारी समिति अथवा डेयरी सहकारी समिति अवश्य खोली जाये, इस दिशा में कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशपर सभी साधन सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जर्जर हो चुकी प्राथमिक सहकारी समितियों सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे प्रदेश में साधन सहकारी समितियों (बी-पैक्स) में दिनाँक 01 से 30 सितम्बर, 2023 तक **''बी-पैक्स सदस्यता महा अभियान 2023''** चलाया जा रहा है। हमारे कृषक भाई, जो साधन सहकारी समितियों (बी-पैक्स) के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्य बनाकर उ0प्र0 सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है।

इस **''बी-पैक्स सदस्यता महा अभियान 2023''** को सफल बनाने के लिए मैं साधन सहकारी समितियों (बी-पैक्स), जिला सहकारी बैंकों समेत सभी नव निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं सहकारिता विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों का आवाहन करता हूँ कि पूर्ण मनोयोग से व्यक्तिगत प्रयास कर अधिक से अधिक कृषकों को साधन सहकारी समितियों (बी-पैक्स) का सदस्य बनाकर भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।

आइये, इस **''बी-पैक्स सदस्यता महा अभियान 2023''** को एक उत्सव की तरह मनायें, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें और सहकारिता आन्दोलन को प्रदेश में नई दिशा देने के सारथी बनें।

शुभकामनाओं सहित !

आपका
JPS Rathore
(जे.पी.एस.राठौर)

www.pacsmember.in
Toll free No.: 1800 2128 84444

सदस्यता महाभियान कार्यक्रम व रूपरेखा

1. प्रदेश स्तरीय बैठक - (12 अगस्त' 2023)
   - अपेक्षित - समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक/प्रबंध निदेशक, संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक, उपायुक्त एवं उपनिबंधक, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक व प्रशासनिक अधिकारीगण।

     अभियान प्रभारी - श्री श्रीकान्त गोस्वामी, प्रबंध निदेशक, पीसीयू

     अभियान प्रमुख - श्री आर0के0 कुलश्रेष्ठ, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक

     अभियान सहप्रमुख - श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, सचिव, कैडर एथारिटी (डीसीबी)
2. जिला स्तरीय बैठक - (14 से 16 अगस्त' 2023)
   - अपेक्षित - उपायुक्त एवं उपनिबंधक, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सचिव जिला सहकारी बैंक, समस्त एडीसीओ व समस्त डीजीएम, जिला सहकारी बैंक।

     जिला अभियान प्रमुख - सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक

     जिला सह अभियान प्रमुख - जी.एम. (या डी.जी.एम.), जिला सहकारी बैंक

     नोट- अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक से वार्ता कर योजना का क्रियान्वयन करना है।
3. सहकारी स्वयं सेवक (सदस्यता अभियान) - (17 से 25 अगस्त' 2023 तक)
   I. बी-पैक्स द्वारा नाम तय करना (समिति अध्यक्ष व सचिव द्वारा) - 21 अगस्त' 2023 तक
   II. जिले पर सूची तैयार करना (ए.आर. व जी.एम. द्वारा) - 25 अगस्त' 2023 तक
4. तहसील स्तर पर बैठक - (26 से 30 अगस्त' 2023 तक)
   - अपेक्षित - ए.आर./जी.एम., एडीसीओ, एडीओ, अध्यक्ष/सचिव (पैक्स), सहकारी स्वयं सेवक (पैक्स)

     तहसील अभियान प्रमुख - एडीसीओ
5. बी-पैक्स स्तर पर बैठक - (30 से 31 अगस्त' 2023 तक)
   - अपेक्षित - एडीओ, अध्यक्ष, सचिव, संचालकगण व सहकारी स्वयं सेवक
   - नोट-
     (i) बैठक में सदस्यता (कम से कम 200 नये सदस्य) व एक लाख रूपये अंशधन (शेयर) का लक्ष्य तय करें।
     (ii) प्रत्येक गाँव-मजरे में किसानों के घर-घर जाकर सदस्यता करना है।
     (iii) अध्यक्ष, संचालकगण सभी को कम से कम 10-10 सदस्य अनिवार्य रूप से बनाने हैं।
     (iv) भरे गये आवेदन पत्रों, शुल्क व शेयर धनराशि सम्बंधित ब्राँच (डीसीबी) में जमा करना है।
     (v) पुराने सदस्य को नया सदस्य बनने पर उनका पुराना अंशदान इसी में जोड़ दिया जायेगा।
6. बी-पैक्स सदस्यता महाभियान शुभारम्भ - (01 सितम्बर' 2023)
   - प्रदेश मुख्यालय से सदस्यता पोर्टल व टोल फ्री नं. लांच किया जायेगा।

     (कार्यक्रम की पूरी जानकारी बाद में दी जायेगी।)
7. मॉनीटरिंग व समीक्षा - (01 से 30 सितम्बर' 2023 तक)
   - प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर प्रतिदिन मॉनीटरिंग।
   - प्रदेश, मण्डल, जिला स्तर से साप्ताहिक समीक्षा।

उ.प्र. सरकार द्वारा बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) को मजबूत करने के लिए उठाये गये कदम

- भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स को बहुआयामी, बहुउद्देश्यीय एवं पारदर्शी बनाने के लिए तैयार की गई मॉडल बायलॉज प्रदेश के पैक्स द्वारा अंगीकृत।
- पैक्स के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारम्भ। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी साधन सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में नये बी-पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का कार्य प्रक्रियाधीन।
- सहकारिता क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीक्रत अन्न भण्डारण योजना का प्रारम्भ।
- पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस केन्द्र के रूप में कार्य प्रारम्भ।(300 से अधिक ई-सुविधाएं उपलब्ध)
- पैक्स एफ0पी0ओ0 के रूप में कृषि सम्बन्धी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करने में सक्षम।
- ग्राम/ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाईयाँ उपलब्ध कराने हेतु पैक्स पर जन औषधि केन्द्र खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन।
- किसान ड्रोन योजना के अन्तर्गत पैक्स ड्रोन ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- डब्लू0डी0आर0ए0 के तहत रजिस्टर्ड बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) गोदामों में पैक्स के सदस्यों का फसली उत्पाद सुरक्षित रखा जायेगा तथा गोदाम (Warehouse) रसीद पर जिला सहकारी बैंकों से सुलभ ऋण की उपलब्धता।

बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) में कौन व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं?

- कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार व्यस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो और संविदा के लिए अनर्हित न हो तथा समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो और स्थायी रूप से व्यापार करता हो या भू स्वामी होने अथवा न होने पर भी समिति में धन जमा करना चाहता हो, बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) का साधारण सदस्य बन सकता है।

बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) का सदस्य कैसे बनें?

- निकटतम साधन सहकारी समिति अथवा जिला सहकारी बैंक/शाखा से सम्पर्क करें।
- **Toll free No- 18002128844444** डायल कर अपना जनपद, विकास खण्ड व गाँव का नाम दर्ज करायें उसके बाद सम्बन्धित अधिकारी **24** घंटे के भीतर आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे सम्पर्क करेंगे।

- <u>ऑनलाइन आवेदन करने के लिए</u> **www.pacsmember.in** पर जाकर अपना नाम एवं मो0नं0 अंकित करें, कृषक द्वारा अंकित मो0नं0 पर एक ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा, ओ0टी0पी0 को पोर्टल पर भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें एवं सदस्यता शुल्क व शेयर की धनराशि ऑनलाइन जमा कर सदस्य बनें।

सदस्यता प्राप्त करने के लिये कितना अंश (शेयर) क्रय करें:-

- सदस्य बनने के लिये आपको न्यूनतम 02 अंश (प्रति अंश रू0 100/-) के लिये रू0 200/- एवं अंश आवंटन हेतु रू0 21/- अर्थात कुल रू0 221/- जमा करना होगा।
- कोई भी व्यक्ति अधिकतम 50 अंश (शेयर) क्रय कर सकता है।

बी-पैक्स (साधन सहकारी समिति) की सदस्यता से क्या लाभ होगा ?

- सदस्य को समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन (Election) में वोट देने का अधिकार।
- समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य/संचालक/सभापति (Director) बनने का अवसर।
- ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण एवं उनकी सेवा करने का अवसर।
- सदस्यों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन / फसली ऋण (3 लाख तक) उपलब्ध। (सभी बैंकों से सस्ता)
- मत्स्य पालकों एवं पशु पालकों को भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर के0सी0सी0 (कार्यशील पूंजी) उपलब्ध।
- सदस्यों को नैनो यूरिया, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, कृषि मशीनरी/यंत्रीकरण, कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रीनेन्ट्स, एवं अन्य उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
- सदस्यों को कृषि पैदावार और उसके उत्पाद (जैसे फसलों, फल व सब्जियाँ, पुष्प कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी फसल, भेड़, बकरी पालन आदि) में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता समिति द्वारा उपलब्ध।
- सदस्य को उत्तराधिकारी नामित करने का अधिकार।

सहकारी समितियों के उद्देश्य

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(अ) मुख्य -

(1) सदस्यों को कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण देना।

(2) सदस्यों को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं, जैसे बीज, खाद, यंत्र, कीटनाशक औषधियां इत्यादि एवं कृषि तथा कुटीर उद्योग और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करना तथा वितरण करना अथवा अन्य साधनों द्वारा उन्हें सदस्यों को प्राप्त करने में सहायता देना।

(3) सदस्यों की कृषि उपज, कृषि उद्योग तथा कुटीर उद्योग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर बिक्री कराने का प्रबन्ध करना।

(4) सदस्यों की पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए निजी गोदाम प्राप्त करना, बनवाया या किराये पर लेना।

(5) किसी भी सहकारी संस्था के एजेण्ट के रूप में बीज वितरण और उसकी वसूली तथा खाद, कृषि यन्त्रों इत्यादि के विक्रय का कार्य करना।

(6) सदस्यों में मितव्ययिता, अपनी मदद आप करने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनायें बनवाया और उन्हें कार्यान्वित करना।

(7) वित्तपोषण बैंक/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ राज्य और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।

(8) पश्चगामी लिंकेज (जैसे प्रदर्शन भूखण्ड, सिचाई सुविधाएं, खाद, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, कस्टम हायरिंग केन्द्र, कृषि मशीनरी/उपकरण, कीटनाशक और अन्य उत्पादन संबंधी इनपुट इत्यादि) और अग्रगामी लिंकेज (जैसे संग्रहण, श्रेणीकरण, सफाई, पैकेजिंग, बॉडिंग और विपणन, भण्डारण (गोदाम व शीतगृह) प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला (परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रशीतीत वैन, आदि) का प्रोत्साहन और विकास समिति के कार्यक्षेत्र में सदस्यों को कृषि पैदावार और उसके उत्पाद (जैसे फसलों, फल व सब्जियों, पुष्पकृषि, डेयरी

कार्यकलापों, मात्स्यिकी/झींगा खेती, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन रेशम उत्पादन, बागानी फसल, भेड़, बकरी, खरगोश, सुवर पालन और अन्य कोई भू/जलीय आधारित कृषि संबंधित कार्यकलाप और उनका प्रसंस्करण) में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(9) समिति और उसके सदस्यों के लाभ के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी स्थानीय निकाय/सरकार/विभाग/समिति/कम्पनी के साथ सुगम व्यवस्था या सहयोग करना।

(10) सेवा या व्यावसायिक कार्य (जैसे अवसंरचना विकास, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, खाद्यान्नों की प्राप्ति, उचित मूल्य की दुकान या कोई सरकारी योजना, डीलरशिप/एजेन्सी/डिस्ट्रिब्यूटरशिप या एलपीजी/पेट्रोल/डीजल/हरित ऊर्जा/कृषि या घरेलू उपभोग या टिकाऊ वस्तुओं/कृषि मशीनरी, कौशल विकास हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण आदि) में शामिल होना जिससे समिति या इसके सदस्यों की सुविधाओं और आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

(11) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुमति से लॉकर सुविधा स्थापित करना या उसकी व्यवस्था करना।

(12) कार्यक्षेत्र में सभी सदस्यों और गैर सदस्यों की सामाजिक आर्थिक, वित्तीय और व्यवसाय सम्बन्धी सूचना एकत्र करना जिससे कृषि योजना और सम्बन्धित व्यवसाय योजना या विकास योजना के लिए नीति अवसंरचना सुदृढ़ हो सके और जो कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो।

(13) समिति और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिउ कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकी या विस्तारित कार्यकलापों का विकास।

(14) अपने सदस्यों और उनके परिवारों (विशेषकर युवाओं और महिलाओं) तथा प्रबन्धन व स्टाफ को सहकारी सिद्धान्तों मूल्यों और आचरणों की शिक्षा देना जिससे कार्यक्षेत्र के सभी हित धारकों में प्रशिक्षण, एक्पोजर दौरे या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

(15) वित्तीय/बैंककारी संस्थानों के लिए एजेन्ट या बैंक मित्र/व्यवसायिक अभिकर्ता/व्यवसायिक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना।

(16) सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए तथा माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(17) कार्य क्षेत्र में सहकार आधारित गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं के समावेश पर ध्यान केंद्रित करना और प्रोत्साहित करना।

(18) सदस्यों को शिक्षा (विद्यालय, महाविद्यालय), स्वास्थ्य (अस्पताल, औषधालय, नैदानिक प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सेवा), पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में तथा संधारणीय विकास गतिविधियों के क्षेत्र में समुदाय-आधारित सेवाएं प्रदान करना।

(19) कार्य क्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं में भाग लेना।

(20) विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूचना/डेटा केंद्र के स्रोत के रूप में कार्य करना।

(21) समिति के कार्य क्षेत्र में आनलाइन/डिजिटल सेवाओं की सुविधा के लिए एक कामन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करना।

(22) समिति के सदस्यों के लाभ के लिए अपने कार्य क्षेत्र के बाहर विपणन और समान कार्य कलाप करना।

(23) भूमि, भवनों, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों और ऐसी अन्य आवश्यक संपत्तियों का स्वामी होना।

(24) आम निकाय द्वारा समिति के सदस्यों का लाभ के लिए स्वीकृत ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल और प्रासंगिक हैं।

(25) ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी का प्रबन्ध करना, जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सरकार, अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

◆◆◆

प्राप्त सदस्यता रसीदों का विवरण -

क्रम	सदस्यता बुक संख्या	रसीदों की संख्या	दिनांक (प्राप्ति)	कटी रसीदों की संख्या	दिनांक (कटने की)
1.		20			
2.		20			
3.		20			
4.		20			
5.		20			
6.		20			
7.		20			
8.		20			
9.		20			
10.		20			
11.		20			
12.		20			
13.		20			
14.		20			
15.		20			
16.		20			
17.		20			
18.		20			
19.		20			
20.		20			

रिपोर्टिंग चार्ट

दिनांक	नये सदस्य बने (संख्या)	शेयर (अंश) की संख्या	जमा धनराशि (रु.) (सदस्य शुल्क + शेयर)	जिला सहकारी बैंक में जमा की गयी धनराशि (रु.)
01 सितम्बर				
02 सितम्बर				
03 सितम्बर				
04 सितम्बर				
05 सितम्बर				
06 सितम्बर				
07 सितम्बर				
08 सितम्बर				
09 सितम्बर				
10 सितम्बर				
11 सितम्बर				
12 सितम्बर				
13 सितम्बर				
14 सितम्बर				
15 सितम्बर				
16 सितम्बर				
17 सितम्बर				
18 सितम्बर				
19 सितम्बर				
20 सितम्बर				
21 सितम्बर				
22 सितम्बर				
23 सितम्बर				
24 सितम्बर				
25 सितम्बर				
26 सितम्बर				
27 सितम्बर				
28 सितम्बर				
29 सितम्बर				
30 सितम्बर				
कुल				

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					

नये सदस्यों का विवरण -

क्रम	नाम	पिता/पति	पता (गाँव)	मोबाइल नं.	रसीद नं.
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					

Notes

Notes

Notes

Notes

सहकारिता के सिद्धान्त

स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

प्रजातांत्रिक सदस्य–नियंत्रण

सदस्य की आर्थिक भागीदारी

स्वायत्तता और स्वतंत्रता

शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग

सामाजिक कर्त्तव्य बोध

सहकारी गीत

सहकारी सतरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा,
संघ शक्ति प्रकटाने वाला, शान्ति सुधा बरसाने वाला,
सम्पति सुमति बढ़ाने वाला, जनगण तंत्र सुमन्त्र हमारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
प्रजातंन्त्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला,
समता न्याय बढ़ाने वाला, साम्य भाव का तनमन सारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
हिन्दू मुस्लिम सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध प्रिय प्राकृत भाई,
सहयोगी वन करें भलाई, भेद दुराग्रह विष तज सारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
इस झंडे के नीचे निर्भय, आए कृषक श्रमी सब निश्चय,
कर्मयोग की बोले जय जय, सुख समृद्धि है ध्येय हमारा।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
धनमदान्धता के धनरण में, तुरन्त पुरूषार्थ प्रकर्षण प्रण में,
ईति भीति व्यापे नहिं मन में, जुट भ्रातृ सम्पति विवरण में,
करें अकंटक भूतल सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।